न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सैयद शीराज अली जैदी (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 342 सन 2018
अनवान :–

1. बंजरगसिह पुत्र स्व हजारीराम जाति राजपुत साकिन सुरजनसर तहसील नोहर।

वादी

बनाम

1. सुरेन्द्र सिह पुत्र स्व हजारीसिह जाति राजपूत साकिन सुरजनसर तहसील नोहर ।
2. कृष्णासिह पुत्र स्व हजारीसिह जाति राजपुत साकिन सुरजनसर तहसील नोहर।
3. कुरडसिह पुत्र स्व हजारीसिह जाति राजपूत साकिन सुरजनसर तहसील नोहर।
4. विधा पत्नि स्व हजारीसिह जाति राजपूत साकिन सुरजनसर तहसील नोहर।
5. लिछमा 6 सरोज कंवर 7 संतोष कवंर 8 सुरजा पुत्री स्व हजारीसिह जाति राजपूत साकिन सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
9. भंवरसिह 10 प्रतापसिह 11 रधूवीरसिह 12 सतोष कवंर 13 रतनादेवी पुत्र/पुत्रीया नाथीदेवी पुत्री स्व हजारीसिह जाति राजपूत साकिन सुरजनसर तहसील नाहर
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 ।
उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
निर्णय दिनांक :– 31.12.18

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद पेश किया जाकर निवेदन किया कि रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 284/283 के खसरा न0 40/1 की 6.1230हैक भूमि जो पूर्व में हजारीसिह पुत्र नत्थु के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी हजारीसिह पुत्र नत्थु का देहान्त एवं उसकी एक पुत्री नाथी का देहान्त हो चुका है हजारीसिह के जायज वारिसान वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 एवं नार्थी के वारिसान प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 है वादी प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 की बहने प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 एवं प्रतिवादी संख्या 4 की माता एवं प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 वादी के भानजा /भानजी है जिन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में त्याग किया हुआ है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी हे वादी का वाद डिक्री फरमायि जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 13 को तलब किया गया तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि पूर्व में वादी के पूर्वज हजारीराम के नाम से दर्ज थी जिनका देहान्त हो चुका है हजारीराम के जायज वारिसान में से एक पुत्री नार्थी का भी देहान्त हो चुका है हजारीराम के जायज व कानूनी वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है एवं नार्थी के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 है एवं प्रतिवादी संख्या 5 ता 13 जो वादी की बहने माता एवं बहन नाथी के वारिसान है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा शामिल मिसल है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया राजस्व रिकार्ड में वाद भूमि हजारीराम के नाम से दर्ज है जिनका देहान्त हो चुका है हजारीराम की एक पुत्री नार्थी का भी देहान्त हो चुका है तथा हजारीराम के जायज वारिसान वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 है एवं नार्थी के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 9 ता 13 है जो मृत्यू प्रमाण पत्र व वारिस प्रमाण पत्र से साबित है तथा वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या 5 ता 13 जो वादी की बहने/माता /बहन के वारिस हे ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 5 ता 13 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में राजीनामा पेश किया जा चुका है।

इसप्रकार वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 13 ने स्वीकार करने के कारण काबिल डिक्री है किन्तु प्रतिवादी संख्या 5 ता 13 ने अपने हकों का त्याग किया गया है इसलिये राज्यहकों की सुरक्षा हेतु स्टाम्प डयूटी कायम की जानी उचित है ।

अतः वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों एवं आपसी सहमति के आधार पर वादी का वाद डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा सरुजनसर के खाता संख्या 284/283 के खसरा न0 40/1 की कुल 6.1230हैक भूमि जो मृतक हजारीराम के नाम से दर्ज है के वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 बहिब के खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 31 12/18 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official